सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01 / 99 / 2019 दर्ज तिथि 15.07.2019

1. जयसिंह पुत्र विजयसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

...........प्रतिवादी

उपस्थित........
वादी अधिवक्ताः– मुरारीलाल
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 326 / 0.72 है0 एवं 330 1.13 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी का 1 / 4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज गैर खातेदार श्रेणी को खातेदार श्रेणी में परिवर्तित कराते हुए राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावे। आवश्यक... पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर व मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/99/2019 दर्ज तिथिः– 15.07.2019

1. जयसिंह पुत्र विजयसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

...........प्रतिवादी

उपस्थित........
वादी अधिवक्ताः– मुरारीलाल
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.02.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा नम्बर 326/0.72 है0, 330/1.13 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम गुढाकिशोरदास तहसील थानागा[illegible] अलवर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी [illegible] का काबिज काश्तकार गैर–खातेदार है। उक्त मुतनाजा आराजी पर वा[illegible] पिता बनेसिंह बंदोबस्त संवत्–2028 से गैर–खातेद[illegible] वादी विगत 50 वर्षों से आराजी मुतनाजा [illegible] कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत[illegible] वादी ने निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर–खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम किये गये:–

तनकीयात

1. *आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र के जिम्मन न0 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर गैर–खातेदार के 1/4 हिस्से का खातेदारी अधिकार घोषणा कराने का अधिकारी है।*

.....वादी

2. *अन्य दादरसी।*

.....उभयपक्षकारान

3. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गये:–

1. जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–01)
2. जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–02)
3. जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–03)
4. जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–04)
5. मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–05)
6. मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–06)
7. हाल जमाबन्दी संवत्–2072–75 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–07)
8. खसरा गिरदावरी चौसाला संवत्–2072–75 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–08)
9. जमाबन्दी संवत्–2036 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–09)
10. मिसल बंदोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–10)
11. जमाबन्दी संवत्–2032 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–11)
12. खसरा गिरदावरी चौसाला संवत्–2036–40 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–12)
13. खसरा गिरदावरी चौसाला संवत्–2036–40 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–13)
14. जमाबन्दी संवत्–2001 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–14)
15. जमाबन्दी संवत्–2009 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–15)
16. खसरा गिरदावरी चौसाला संवत्–2009–13 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–16)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

17. इन्तकाल संख्या–292 फैसल दिनांक 17.08.2015 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी जिला अलवर (प्रदर्श–17)

4. वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. जयसिंह पुत्र विजयसिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–01)
   2. रूडसिंह पुत्र रणजीतसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–02)
   3. रत्तीदानसिंह पुत्र नत्थूसिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी (पी. डब्ल्यू.–03)

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर दर्ज अन्य सहकाश्तकार खातेदार रेशम सिंह, सुरज सिंह, कृष्ण सिंह पुत्रान गाहड़ सिंह हिस्सा–1/3, कप्तान सिंह, शिवदान सिंह, रत्तीदान सिंह पिसरान नत्थू सिंह हिस्सा–1/3, गिरधारी सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा–1/3 भी गैर–खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहे है। उक्त सहकाश्तकारों को इन्तकाल संख्या 292 दिनांक 17.08.2015 के द्वारा जरिये न्यायालय आदेश खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु वादी को आदिनांक हाल राजस्व रिकॉर्ड में गैर–खातेदारी से खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादी उक्त मुतनाजा आराजी पर विगत 50 वर्षों से आराजी पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। अंत में वादी ने निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर–खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जावें। वादी ने अपने दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जो कि शामिल पत्रावली कियेः–
   1. आर.आर.डी.–1978 पेज सं0 27 उनवान नारायणराम बनाम गंगू

6. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार हैः–

   आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र के [illegible] वर्णित आराजी खसरा नंबर गैर–खातेदार के 1/4 हिस्से का खातेदारी अधिकार घोषणा कराने का अधिकारी है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली पर प्रथम तनकी में वादी द्वारा आराजी मुतनाजा पर 1/4 हिस्से पर गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रथम तनकी को सिद्ध करने के भार वादी पर है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

8. प्रकरण में प्रथम तनकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.*
>
> *(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (2) in the land held by him.*
>
> *(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:*
>
> *(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kuma Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय प्रत्येक काश्तकार बतौर खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक प्रदर्श–07 इस प्रकार है:–

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	श्रेणी	जाति	खसरा	रकबा
1.	रेशम सिंह, सुरज सिंह, कृष्ण सिंह पिसरान गाहड् सिंह	1/3	खातेदार	राजपूत	326	0.72 है0
2.	कप्तान सिंह, शिवदान सिंह, रत्तीदान सिंह पिसरान नत्थू सिंह	1/3				
3.	गिरधारी सिंह पुत्र भंवर सिंह	1/3				
4.	**जयसिंह पुत्र विजयसिंह**	1/3	गैर–खातेदार			
कुल किता व रकबा					02	1.85 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

10. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–06) तथा मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2028 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–05) का विवरण इस प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत्–2060		बन्दोबस्त संवत्–2028
हाल खसरा	साबिक / हाल खसरा	साबिक
326 / 0.72 है0	250 / 2 बीघा 17 बिस्वा	361 मिन / 01 बिस्वा
		363 मिन / 2 बीघा 10 बिस्वा
		366 मिन / 06 बिस्वा
330 / 1.13 है0	254 / 4 बीघा 09 बिस्वा	366 मिन / 03 बिस्वा
		367 मिन / 07 बिस्वा
		368 मिन / 08 बिस्वा
		371 मिन / 01 बीघा 10 बिस्वा
		372 / 02 बीघा 01 बिस्वा

11. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2001 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–14) तथा जमाबन्दी संवत्–2009 (प्रदर्श–15) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी खुदकाश्त के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतोनी	मालिक	काश्तकार	खसरा	रकबा
1	गाहड् सिंह, फुल सिंह, गोविन्द सिंह, नत्थू सिंह, लाल सिंह, **विजय सिंह**, पिसरान बनेसिंह हिस्सा बराबर निस्फ भोर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह मफरूर निस्फ कोम ठाकुर साकिन देह	खुदकाश्त	361	2 बीघा 9 बिस्वा
			366	1 बीघा 13 बिस्वा
			367	10 बिस्वा
			372	2 बीघा 1 बिस्वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kuma Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

12. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार मुतनाजा आराजी का मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–01) (प्रदर्श–2) (प्रदर्श–03) (प्रदर्श–04) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी खुदकाश्त के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतोनी	मालिक	काश्तकार	खसरा	रकबा
1	गाहड् सिंह, फुल सिंह, गोविन्द सिंह, नत्थू सिंह, लाल सिंह, **विजय सिंह,** पिसरान बनेसिंह हिस्सा बराबर निस्फ भोर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह मफरूर निस्फ कोम ठाकुर साकिन देह	खुदकाश्त	361	2 बीघा 9 बिस्वा
			363	3 बीघा 1 बिस्वा
			366	1 बीघा 13 बिस्वा
			367	10 बिस्वा
			368	1 बीघा 3 बिस्वा
			371	10 बीघा 6 बिस्वा
			372	2 बीघा 1 बिस्वा

13. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत्–2001 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–14) तथा जमाबन्दी संवत्–2009 (प्रदर्श–15) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी खुदकाश्त के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही जमाबन्दी संवत्–2013–16 वाकै ग्राम गुढाकिशोरदास (प्रदर्श–01) (प्रदर्श–2) (प्रदर्श–03) (प्रदर्श–04) के अवलोकन से मुतनाजा आराजी के मुताबिक पैरा–10 साबिक खसरा संख्यान पर वादी खुदकाश्त के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी खुदकाश्त काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत्–2009–2013 (प्रदर्श 16) के अनुसार साबिक खसरा संख्या का विवरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kuma Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

खसरा			
361	गाहड् सिंह, फुल सिंह, गोविन्द सिंह, नत्थू सिंह, लाल सिंह, **विजय सिंह,** पिसरान बनेसिंह		खुदकाश्त
362			
363			
366			
367			
368			

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

371 372	हिस्सा बराबर निरफ भोर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह मफरूर निरफ कोम ठाकुर साकिन देह	

14. उपरोक्त दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी खुदकाश्त काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इसके समर्थन में वादी द्वारा 03 गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। इन गवाहों के हलफनामा एवं जिरह के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी व उसके पूर्वज मुतनाजा आराजी के 1/4 हिस्से पर विगत करीब 50 वर्षो से कृषि काश्त करता आ रहा है तथा आज भी अविवादित कब्जा रखते हुये कृषि कार्य कर रहा है। उसके समर्थन में वादी द्वारा खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत्– 2072–75 (प्रदर्श–08) प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वादी वर्तमान में मुतनाजा आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है।

15. प्रकरण में न्यायालय द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/70 दिनांक 24.01.2022 द्वारा तहसीलदार थानागाजी से कब्जा मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार थानागाजी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2022/17 दिनांक 25.02.2022 द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है:–

> *आराजी खसरा संख्या 326/0.72 है० तथा 330/1.13 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.85 है० के 1/4 हिस्से पर जयसिंह पुत्र विजयसिंह काबिज है तथा कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं।*

16. उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 16 अनुसार वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी खुदकाश्त काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही गवाहान पी. डब्ल्यू.–01 लगायत 03, तथा खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत्–2072–75 (प्रदर्श–08) से वादी का वर्तमान में मुतनाजा आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त स्पष्ट होती है। अतः वादी अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को [illegible] तनकी संख्या 01 द्वारा प्रभारित दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

17. वादी द्वारा दौराने बहस माननीय राजस्व मंडल अजमेर का एक न्यायिक दृष्टांत *आर.आर.डी.–1978 पेज सं0 27 उनवान नारायणराम बनाम गंगू* प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील का प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

यह था कि गंगू ने न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष बाबत इस्तकराहक्क एक दावा पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी उपकृषक काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें। न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा वादी गंगू के पक्ष में निर्णय दिया गया। उक्त न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय के विरूद्ध नारायण ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा वादी गंगू के पक्ष में दिये गये निर्णय को उचित ठहराते हुये अपील खारीज की। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रासंगिक पैरा–9 का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *9. Through a pedigree table it was explained to us that the parties are related to each other. They had a common ancestor (unnamed) who had two sons Likhma Ram and Bima Ram. Defendant. No. 1 Narain is the grand son of Bimaram and the plaintiff Gangu and the other two defendants Balu and Piragha are grand sons of Likhma Ram, but sons of different fathers. A perusal of girdaweri for samvat year 2011 shows that Gangu was in cultivatory possession as sub-tenant of Balu and Piragha. Jamabandi for the samvat years 2013 to 2017 also shows that Gangu was the sub tenant of Balu and Piragha and was cultivating the entire Tield in Khasra No. 585 measuring 10 bighas and 6 biswas. Since Gangu was recorded as sub-tenant in the annual register after the commencement of the Rajasthan Tenancy Act on the basis of Jamabandi for samvat years 2013 to 2017, he applied to the Assistant Collector, Sikar for con-ferment of khatedari rights and the same were conferred by the S. D. O. On 25.11.1958 on the entire field of Khasra No. 585 measuring 10 bighas and six biswas. The argument of the present appellant that the S. D. O. had no jurisdiction to Confer khaledari rights in view of the decision in Suraj Mal Vs. Hajari 1972-RRD-34 is totally wrong because that decision deals with power of mutations. It does not say that the S.D.O. has no right to confer khatedari rights.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

18. वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अनुतोष का मुख्य आधार है कि वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा उक्त तथ्य के आधार पर अपील निस्तारित की। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर सटीक चस्पा होता प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

19. वादी द्वारा एक ओर महत्वपूर्ण कथन किया है कि मुतनाजा आराजी के अन्य सहकाश्तकारों को सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात् इन्तकाल संख्या– 292 फैसल दिनांक 17.08.2015 के द्वारा समान आधारों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। इस बाबत् इन्तकाल संख्या– 292 फैसल दिनांक 17.08.2015 (प्रदर्श–17) की सत्यापित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है।

20. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के तहत दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 16 अनुसार वादी मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या संवत् 2012 के समय वादी खुदकाश्त काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू.–01 लगायत 03, तथा खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत्– 2072–75 (प्रदर्श–08) से वादी का वर्तमान में मुतनाजा आराजी के 1/4 हिस्से पर कब्जे काश्त स्पष्ट होती है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वादी के कब्जे काश्त को स्पष्ट करती है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर सटीक चस्पा होता प्रतीत होता है। इसके साथ ही मुतनाजा आराजी के अन्य सहकाश्तकारों को सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात् इन्तकाल संख्या– 292 फैसल दिनांक 17.08.2015 के द्वारा समान आधारों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने से भी वादी का पक्ष प्रबल होता है। इस तरह उपरोक्त प्रकार से वादी तनकी संख्या–1 को साबित करने में सफल रहा है। अतः तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई अनुतोष शेष नही रहने के कारण तनकी–2 पर पृथक से विवेचन आवश्यक नही है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 326/0.72 है0 एवं 330 1.13 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम गुढाकिशोरदास तहसील थानागाजी का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज में दर्ज गैर खातेदार श्रेणी को खातेदार श्रेणी में परिवर्तित कराते हुए राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:42 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)